मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२५

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२५

विषय – सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा १२ का संशोधन.

४ धारा १३ का संशोधन.

५. धारा १७ का संशोधन.

६ धारा २० का संशोधन.

७. धारा ३४ का संशोधन,

८. धारा ३८ का संशोधन.

९. धारा ३९ का सशोधन.

१० धारा १०७ का संशोधन.

११. धारा ११२ का संशोधन,

१२. नई धारा १२२ख का अंतःस्थापन,

१३. नई धारा १४८क का अंतःस्थापन.

१४. अनुसूची ३ का संशोधन.

१५. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२५

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधो के लिए विभिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के निर्देश के रूप में किया जाएगा.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में धारा २ में,- धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (६१) में, शब्द और अंक "धारा ९" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक "इस अधिनियम या समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १३ सन् २०१७) की धारा ५ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन' १ अप्रैल, २०२५ से अतःस्थापित किए जाएंगे;

(दो) खण्ड (६९) में -

(क) उप-खण्ड (ग) में, शब्द "नगरपालिका या स्थानीय निधि" के स्थान पर, शब्द "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" स्थापित किए जाएं;

(ख) उप-खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण,- इस उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए-

(क) "स्थानीय निधि" से अभिप्रेत है, किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में लोक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए स्थापित और किसी कर, शुल्क टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए, शक्तियों के साथ विधि द्वारा निहित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि;

(ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों के साथ विधि द्वारा निहित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि';

(तीन) खण्ड (११६) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(११६क) "विशिष्ट पहचान चिहांकन" से अभिप्रेत है, धारा १४८क की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिहांकन और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिहांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाये जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित हैं.".

३. मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (४) का लोप किया जाए. धारा १२ का संशोधन.

धारा १३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (४) का लोप किया जाए.

धारा १७ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (५) में, खण्ड (घ) में,—

(एक) शब्द "संयंत्र या मशीनरी" के स्थान पर, शब्द "संयंत्र और मशीनरी" स्थापित किए जाएं और इन्हें १ जुलाई, २०१७ से स्थापित किया गया समझा जाए;

(दो) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण १ के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार क्रमांकित स्पष्टीकरण १ के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण २—खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाए तथा "संयंत्र और मशीनरी" के प्रति निर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाए.".

धारा २० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २० में, १ अप्रैल, २०२५ से,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक "धारा ६" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "इस अधिनियम की या समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द तथा अंक "धारा ६" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "इस अधिनियम की या समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन" अन्तःस्थापित किए जाएं.

धारा ३४ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (२) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु आपूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

(एक) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(दो) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया हो.".

धारा ३८ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३८ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "स्वतः सृजित विवरण" के स्थान पर, शब्द "कोई विवरण" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में,—

(क) शब्द "के अधीन स्वतः जनित विवरण" के स्थान पर, शब्द "में निर्दिष्ट विवरण" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द "और" का लोप किया जाए;

(ग) खण्ड (ख) में, शब्द "प्राप्तकर्ता द्वारा" के पश्चात्, शब्द "सम्मिलित" अन्तःस्थापित किया जाए;

(घ) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जैसे कि विहित किए जाएं.".

९. मूल अधिनियम की धारा ३६ में, उपधारा (१) में, शब्द "और ऐसे समय के भीतर" के स्थान पर, शब्द "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन" स्थापित किए जाएं. धारा ३६ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १०७ में, उपधारा (६) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:– धारा १०७ का संशोधन.

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो.".

११. मूल अधिनियम की धारा ११२ में, उपधारा (८) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:– धारा ११२ का संशोधन.

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा धारा १०७ की उपधारा (६) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो.".

१२. मूल अधिनियम की धारा १२२क के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:– नई धारा १२२ख का अंतःस्थापन.

"१२२ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा १४८क की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय १५ या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा.". खोज और अनुसरण क्रिया विधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति.

१३. मूल अधिनियम की धारा १४८ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:– नई धारा १४८क का अंतःस्थापन.

"१४८क. (१) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,– कतिपय माल के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि.

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है,

को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी.

(२) सरकार, उपधारा (१) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,––

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जैसे कि विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रानिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी; और

(ख) ऐसे माल के लिए उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी को सम्मिलित करते हुए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विहित कर सकेगी.

(३) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, ––

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएंगे;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे, ऐसे प्ररुप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेंगे;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा;

(घ) उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जैसी कि विहित की जाए.".

अनुसूची ३ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की अनुसूची ३ में,—

(एक) पैरा ८ में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए और इसे १ जुलाई, २०१७ से अंतःस्थापित किया गया समझा जाए, अर्थात् :—

"(कक) किसी व्यक्ति को घरेलू टैरिफ क्षेत्र के या निर्यात के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति;";

(दो) स्पष्टीकरण २ में, शब्दों "के प्रयोजनों के लिए" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर "के खण्ड (क)" अन्तः स्थापित किए जाएं और १ जुलाई, २०१७ से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएं;

(तीन) स्पष्टीकरण २ के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाए और इसे १ जुलाई, २०१७ से अंतःस्थापित किया गया समझा जाए, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण ३— पैरा ८ के खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक जोन" "मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र" और "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, २००५ (२००५ का २८) की धारा २ में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं.".

संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं.

१५. समस्त ऐसे करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किए गए हैं किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किए गए होते, यदि खण्ड १४ सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुआ होता.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कर प्रशासन में स्पष्टता और प्रभाविता लाने के लिए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) की ११ धाराओं को संशोधित करने तथा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) में २ नई धाराएं अंतःस्थापित किये जाने की आवश्यकता है.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में किए गए संशोधन निम्नानुसार हैं :—

(१) विधेयक का खण्ड २, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा २ का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है.

उक्त धारा २ के खण्ड (६१) में 'इनपुट सेवा वितरक' की परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव है. जिससे कि ऐसी अंतरराज्यीय पूर्तियों की बाबत इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके, जिस पर इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १७ सन् २०१७) की धारा ५ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के प्रतिनिर्देश को अंतःस्थापित करके प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है.

यह संशोधन १ अप्रैल, २०२५ से प्रभावी होगा.

धारा २ के खण्ड (६९) के उपखण्ड (ग) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे पद "नगरपालिका या स्थानीय निधि" के स्थान पर, पद "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" स्थापित किया जा सके और उक्त उपखण्ड के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके. उक्त खण्ड के अधीन "स्थानीय प्राधिकारी" की परिभाषा में प्रयुक्त 'स्थानीय निधि' और

'नगरपालिका निधि' पदों की परिभाषाओं का उपबंध किया जा सके, जिससे उक्त पदों की परिधि को स्पष्ट किया जा सके.

धारा २ में एक नया खण्ड (११६क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे पद "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" को परिभाषित किया जा सके, जिसका अभिप्राय एक चिन्ह है जो खोज और अनुसरण क्रिया विधि के कार्यान्वियन हेतु विशिष्ट, सुरक्षित और न-हटाए जाने योग्य है.

(२) विधेयक का खण्ड ३ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा १२ की उपधारा (४) का लोप करने के लिए है, जिससे कि वाउचरों में संव्यवहार की बावत् पूर्ति के समय के लिए उपबंध को हटाया जा सके, चूंकि यह न तो माल की पूर्ति है और न ही सेवाओं की पूर्ति है.

(३) विधेयक का खण्ड ४ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा १३ की उपधारा (४) का लोप करने के लिए है, जिससे कि वाउचरों में संव्यवहार की बावत् पूर्ति के समय के लिए उपबंध का लोप किया जा सके, चूंकि यह न तो माल की पूर्ति है और न ही सेवाओं की पूर्ति है.

(४) विधेयक का खण्ड ५ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा १७ की उपधारा (५) के खण्ड (घ) का संशोधन करने के लिए है, जिससे ऐसे मामलों में इनपुट कर प्रत्यय के उपभोग के प्रयोजन के लिए निर्वचन में किसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए पद "संयंत्र या मशीनरी" के स्थान पर, पद "संयंत्र और मशीनरी" को स्थापित किया जा सके. यह खण्ड एक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त संशोधन किसी न्यायालय, या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किया गया है.

यह संशोधन १ जुलाई, २०१७ से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा.

(५) विधेयक का खण्ड ६ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा २० की उपधारा (१) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि ऐसी अंतरराज्यीय पूर्तियों की बावत् इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके, जिन पर उक्त उपधारा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के प्रति निर्देश को अंतःस्थापित करके प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है.

खण्ड उक्त धारा की उपधारा (२) का यह और संशोधन करने के लिए है, जिससे कि ऐसी अंतरराज्यीय पूर्तियों की बावत् इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके, जिन पर उक्त उपधारा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के प्रति निर्देश को अतःस्थापित करके प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है.

यह संशोधन १ अप्रैल, २०२५ से प्रभावी होगा.

(६) विधेयक का खण्ड ७ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ३४ की उपधारा (२) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त जमा पत्र की बावत् पूर्तिकार के कर दायित्व की कटौती के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ता द्वारा, यदि उपभोग कर लिया गया है, जमा पत्र की बावत् तत्संबंधी इनपुट कर प्रत्यय के वापसी की अपेक्षा के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके.

खण्ड उक्त परंतुक में ऐसी शर्त को भी हटाने के लिए है, जिसमें उक्त जमा पत्र की बावत् पूर्तिकार के कर दायित्व की कटौती के प्रयोजन के लिए पूर्ति पर ब्याज का भार अंतरित नही किया गया है.

(७) विधेयक का खण्ड ८ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ३८ की उपधारा (१) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त उपधारा में इनपुट कर प्रत्यय के विवरण के संबंध में पद "स्वतः सृजित" का लोप किया जा सके.

खण्ड उक्त उपधारा में इनपुट कर प्रत्यय के विवरण के संबंध में पद "स्वतः सृजित" का लोप करके और उक्त उपधारा के खण्ड (ख) में शब्द "प्राप्तकर्ता द्वारा" के पश्चात्, पद "सम्मिलित करके" अंतःस्थापित करके उक्त धारा की उपधारा (२) का और संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त उपधारा को ऐसे अन्य मामलों को आच्छादित करने के लिए समावेशी बनाया जा सके जहां इनपुट कर प्रत्यय अधिनियम के किन्ही अन्य उपबंधों के अधीन करदाता को उपलब्ध नहीं है.

खण्ड उक्त उपधारा में एक और नया खण्ड (ग) अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे इनपुट कर प्रत्यय के विवरण में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य ब्यौरे को विहित करने के लिए समर्थकारी खण्ड का उपबंध किया जा सके.

(८) विधेयक का खण्ड ९ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ३९ की उपधारा (१) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त उपधारा के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए शर्तों और निबंधनों को विहित करने के लिए समर्थकारी खण्ड का उपबंध किया जा सके.

(९) विधेयक का खण्ड १० मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा १०७ की उपधारा (६) के परंतुक को स्थापित करने के लिए है, जिससे किसी ऐसे आदेश, जिसमे किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग अंतर्वलित है, के विरुद्ध किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल करने के लिए शास्ति की रकम के दस प्रतिशत के पूर्वनिक्षेप की अपेक्षा के लिए उपबंध किया जा सके.

(१०) विधेयक का खण्ड ११ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ११२ की उपधारा (८) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे किसी ऐसे आदेश जिसमें किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग अंतर्वलित है, के विरुद्ध किसी अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील फाइल करने के लिए शास्ति की रकम के दस प्रतिशत के पूर्व निक्षेप की अपेक्षा के लिए उपबंध किया जा सके.

(११) विधेयक का खण्ड १२ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में एक नई धारा १२२ख अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे खोज और अनुसरण क्रिया विधि से संबंधित उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्तिक उपबंधों का उपबंध किया जा सके.

(१२) विधेयक का खण्ड १३ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में एक नई धारा १४८ क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे विनिर्दिष्ट वस्तुओं की पूर्ति के प्रभावी निगरानी और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए खोज और अनुसरण क्रिया विधि के कार्यान्वयन हेतु समर्थकारी उपबंध हेतु उपबंध किया जा सके.

(१३) विधेयक का खण्ड १४ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की अनुसूची ३ के पैरा ८ में एक नया खण्ड (कक) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि किसी व्यक्ति को निर्यात के लिए या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक क्षेत्र में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण जोन में भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति को न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा.

यह खण्ड उक्त अनुसूची के स्पष्टीकरण २ का और संशोधन करने के लिए है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण उक्त अनुसूची के पैरा ८ के खण्ड (क) के संबंध में लागू होगा.

यह खण्ड उक्त अनुसूची में स्पष्टीकरण ३ अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे उक्त अनुसूची के पैरा ८ में प्रस्तावित खण्ड (कक) के प्रयोजन के लिए पद "विशेष आर्थिक जोन", "मुक्त व्यापार भांडागारण जोन" और "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" को परिभाषित किया जा सके.

ये संशोधन १ जुलाई, २०१७ से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे.

(१४) विधेयक का खण्ड १५ यह स्पष्ट करने के लिए है कि उपरोक्त क्रियाकलापों या संव्यवहारों के संबंध में पहले ही संदत्त कर का कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक : २७ जुलाई, २०२५.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

१. खण्ड १ द्वारा अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त किये जाने की तिथि एवं विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तिथियां अधिसूचित किये जाने;

२. खण्ड ८ द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के विवरण में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य ब्यौरे को विहित किये जाने;

३. खण्ड १३ द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं की पूर्ति के प्रभावी निगरानी और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए खोज और अनुसरण क्रिया विधि के कार्यान्वयन हेतु समर्थकारी उपबंध के संबंध में वस्तुओं तथा व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित किये जाने; तथा

४. खण्ड १३ द्वारा माल के पैकजों पर विशिष्ट पहचान चिन्ह अंकित किए जाने एवं अभिलेख या दस्तावेज रखे जाने तथा माल के पहचान क्षमता प्रचालन की अवधि का प्रारूप और रीति विहित किये जाने;

के संबंध में नियम बनाए जाएंगें, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) से उद्धरण.

*   *   *

धारा २ (६१) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा २० में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;".

(६९) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्न अभिप्रेत है,–

(क) संविधान के अनुच्छेद २४३ के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत;

(ख) संविधान के अनुच्छेद २४३त के खंड (ङ.) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का विधिक हकदार है या जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है;

(११६) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र.१४)" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र.१४) अभिप्रेत है;

धारा १२   *   *   *

(४) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाउचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,–

(क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिन्दु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा.

धारा १३ सेवाओं के प्रदाय का समय–

(४) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाउचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,–

(क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिन्दु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा.

धारा १७   *   *   *

(५) धारा १६ की उपधारा (१) .... अर्थात्

(क) तेरह से अनधिक व्यक्तियों .... प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान .... माल के परिवहन के लिए;

(कख) साधारण बीमा सेवाएं .... के प्रदाय में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवाओं .... उपबंध करना बाध्यकर हो;

(ग) कार्य संविदा सेवाएं .... कोई आवक सेवा है;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिये किया जाता है.

स्पष्टीकरण.– खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अन्तर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवृतन या मरम्मत भी है;

धारा २० * * *

(१) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा २४ के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा.

(२) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उद्ग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा.

(३) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा;

धारा ३४ * * *

(१) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों .... से अंतर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा.

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है. ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परन्तु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात् तीस नवम्बर से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगाः

परन्तु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी.

धारा ३८ * * *

(१) धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसी अन्य पूर्तियों, जो कि विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा स्वतः जनित विवरण, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तें और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को, इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे

(२) उपधारा (१) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:–

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके; और

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ, प्राप्तकर्ता द्वारा, धारा ३७ को उपधारा (१) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता;–

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए; या

(दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जो कर के संदाय में व्यतिक्रमी रहा है और ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या

(तीन) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है; या

(चार) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से, खण्ड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए, जिसका कि उसके द्वारा लाभ लिया जा सकता है; या

(पांच) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा ४६ को उपधारा (१२) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या

(छह) व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं.

धारा ३६ * * *

(१) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट प्रत्यय, संदेय कर तथा सदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्ययीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे.

धारा १०७ * * *

(१) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के .... भीतर विहित किया जाए.

(२) आयुक्त उक्त विनिश्चय .... अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए.

(३) जहां उपधारा (२) अधीन आदेश के .... को लागू होगे.

(४) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता .... अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा.

(५) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जो विहित किया जाए.

(६) उपधारा (१) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने,–

(क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का, अधिकतम बीस करोड़ रु. के अध्यधीन रहते हुए, संदाय नहीं किया हो.

परन्तु यह कि धारा १२६ की उपधारा (३) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता.

धारा ११२ * * *

(१) इस अधिनियम की धारा १०७ या धारा १०८ के अधीन.............. तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा.

(२) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को.............. हजार रुपए से अधिक न हो.

(३) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के.............. से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा.

(४) जहां उपधारा (३) के अधीन आदेश के अनुसरण में .... जैसे वे उपधारा (१) के अधीन फाइल अपील के संबंध में लागू होते हैं.

(५) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के............ जैसे यह उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो.

(६) अपील अधिकरण, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अवधि के............ उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था.

(७) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित जो विहित की जाए, में होगी.

(८) कोई अपील, उपधारा (१) के अधीन जब तक फाइल नहीं की जाएगी तब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर, दे.

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा १०७ की उपधारा (६) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम बीस करोड रु. के अध्यधीन रहते हुए.

१२२क * * *

(१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा १४८ के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो यह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय १५ के अधीन या इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा.

(२) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपधारा (१) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :

परंतु ऐसी मशीन कर अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहां,–

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है,–

धारा १४८ * * *

सरकार, परिषद की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और सुरक्षा के अधीन जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों और ऐसे कराधेय व्यक्तियों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है, द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति को अधिसूचित कर सकेगी :–

अनुसूची ३

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय

१. कर्मचारी............ को सेवाएं.

२. तत्समय प्रवृत्त............ द्वारा सेवाएं.

३. (क) संसद सदस्यों,............ गये कर्तव्य.

४. अंतिम संस्कार,............ की सेवाएं.

५. भूमि का विक्रय............ भवन का विक्रय.

६. विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के अतिरिक्त अनुयोज्य दावें

७. भारत के बाहर किसी स्थान से .... बिना प्रदाय.

८. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल का प्रदाय.

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किये जाने के पश्चात् किन्तु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति किये जाने से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल का प्रदाय.

९. इस शर्त के अधीन.............. प्रभाजन का क्रियाकलाप.

१०. इस शर्त के अधीन.............. कटौती किया जाता है.".

स्पष्टीकरण—१ पैरा २ के प्रयोजन के लिए शब्द "न्यायालय" जिसके अंतर्गत जिला न्यायायल, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी है.

स्पष्टीकरण २ पैरा ८ के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "भांडागार में रखे गये माल" का वही अर्थ होगा, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२) में उसके लिए समानुदेशित किया गया है.

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.